न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या–: 29 / 2022 (225 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2022 / 60

उनवान

1. सूरजा देवी पत्नि मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

....अपीलांट।

बनाम

1. सिराज बेग पुत्र मल्लू बेग जाति मुसलमान, निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0।
2. बाबूलाल पुत्र रामनिवास जाति महाजन, निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0।
3. प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज0।
4. बबीता पत्नि दिनेश चन्द जाति महाजन निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
5. उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अब्दुल वहाब अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 25.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 23 / 2018 बउनवान सिराज बेग बनाम बाबू में पारित निर्णय 23.03.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी खातेदारी भूमि खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नंबर 1596 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य संपन्न करने हेतु आने–जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 1595 रकबा 0.4375 है0 व 1589 रकबा 1.46 है0 की बीच की मेड पर होकर है। अतः खसरा नंबर 1595 रकबा 0.4375 है0 व 1589 रकबा 1.46 है0 की बीच की मेड पर होकर स्थित कदीमी रास्ते को खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1596 रकबा 1.25 है0 पर आने–जाने हेतु 15 फुट रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर नक्शा शीट मे अंकन फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की तरफ से मातहत अदालत के समक्ष जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 1595 रकबा 0.4375 है0 व 1589 रकबा 1.46 है0 की बीच की मेड पर होकर खसरा नंबर 1596 पर आने जाने का रास्ता कभी भी नही रहा है। उक्त खसरा नंबर 1596 प्रार्थी द्वारा जिस व्यक्ति कय की गई है वह खसरा नंबर 1600 व खसरा नंबर 3964 व 1599 में होकर के आता जाता रहा है। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार रास्ता चाहता है जो विधि विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

मातहत अदालत ने उभयपक्षकारान को सुनकर दिनांक 23.03.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1596 वाके ग्राम भगवतगढ, तहसील चौथ का बरवाडा पर आने–जाने हेतु इससे लगता हुआ खसरा नंबर 3964 में 198 वर्ग मीटर व खसरा नंबर 1599 में 40 गुणा 3 बराबर 120 वर्ग मीटर अर्थात कुल 318 मीटर की डी0एल0सी0 दर 829534 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 26380 रूपये की दुगुनी राशि 52760/– रूपये राशि खसरा नंबर 3964 एवं खसरा नंबर 1599 के खातेदारान को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर खसरा नंबर 3964 व 1599 में दक्षिणी मेड़ के सहारे 3 मीटर चौडा व 106 मीटर लंबाई का कुल 318 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करे। " उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाया एवं अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3964 मे होकर कोई रास्ता नही मांगा एवं खातेदार को कोई पक्षकार नही बनाया। कोई अपीलांट सूरजा एवं खातेदार दामोदर के वारिसान को भी पक्षकार नही बनाया उनकी आराजीयात मे होकर रास्ता निकालकर राशि तय कर दी जो कानूनन विधि विपरीत हैं। अपीलांट की आराजीयात मे होकर आने जाने का कोई रास्ता नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2020 मे भी स्पष्ट अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट सिराज अपनी आराजीयात खसरा नंबर 1596 मे आने का रास्ता खसरा नंबर 1595 एवं 1589 की बीच मेड मे होकर कदीमी रास्ता है। अपीलांटा खसरा नंबर 3964 के 1/2 भाग

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, लेकिन मातहत अदालत ने बिना अपीलांट को सुने ही यह आलौच्य निर्णय पारित किया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.03.2022 अपास्त फरमाया जावें। अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा को दिनांक 11.05.2022 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/2022/1049 मिला जिसमे उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा का निर्णय दिनांक 23.03.2022 की जानकारी हुई, उसके बाद अपीलांट बुजुर्ग महिला थी जिसने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 06.06.2022 को तैयार होकर नकल प्राप्त की। अपील पेश करने मे कोई जानबूझकर देरी नही की है, अतः अपील अपीलांट पेश करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कण्डोन फरमाते हुए, अपील मियाद अन्दर पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा को माहत अदालत मे पक्षकार नही बनाया गया है जबकि खसरा नंबर 3964 मे जरिये रजि0 विकय पत्र द्वारा खरीदा है, जिसका राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज है एवं खसरा नंबर 3964 का 1/2 का दामोदर खातेदार है एवं खसरा नंबर 1599 का खातेदार रामफूल हैं उसे भी पक्षकार नही बनाया है इसलिए न्यायहित मे अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. जवाब बहस प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध नही है ना ही अपीलांटगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 मे उल्लेखित तथ्यों के अनुसार तथा पत्रावली का अवलोकन करने से पाया गया कि अपीलांटा एक आवश्यक पक्षकार है, न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटा को मातहत अदालत बिना सुनवाई अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित करना कानूनन विधि विपरीत है, विवादित भूमि से संबंधित प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई उचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। मातहत अदालत ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें, मातहत अदालत का निर्णय अपास्त किया जावे।

10. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है, मातहत अदालत द्वारा जारी आदेश की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज हो चुके है। अपील पेश करने को कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

11. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

12. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि **प्रथमः**– विवादित आराजी खसरा नंबर 1599 का कोई राजस्व रिकार्ड ही पत्रावली पर उपलब्ध नही है। यह कि अदालत मातहत द्वारा खसरा नंबर 1599 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के रिकॉर्डेड खातेदार को बिना पक्षकार बनाए ही, बिना सुनवाई का अवसर दिए ही निर्णय पारित किया है।

द्वितीयः–मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.03.22 के अनुसार निर्णय पृथक से लिखाया जाने के आदेश अंकित है। परन्तु अदालत मातहत का निर्णय आदेशिका के प्रारूप मे है, उस पर न तो मुकदमा नंबर दर्ज है, न ही उनवान अंकित है। अर्थात निर्णय प्रारूप मे नही है। जिससे यह स्पष्ट नही है कि निर्णय के पक्षकार कौन–कौन है, वाद की विषयवस्तु क्या है ? अर्थात् अपूर्ण निर्णय है। मातहत अदालत द्वारा **आदेश 20 नियम 6 जा0 दी0** की अवहेलना की गई है। इस कारण मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 23/2018 बउनवान सिराज बेग बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बाबू में पारित निर्णय 23.03.2022 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी नियम 68–69 की पालना करते हुए, वाद से संबंधित सभी आवश्यक पक्षकारो को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, निर्धारित निर्णय "प्रारूप" मे पुनः निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 31.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष उपस्थित होवें।

14. पत्रावली को फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावें। आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
31-7-23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाईमाधोपुर

Scanned with CamScanner